

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/166015/SBL/SAMBHAL/1366/CFO

दिनांक: 18-07-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **KENDRIYA VIDYA NIKETAN VILLAGE SIHAVALI BLOCK RAJPURA TEHSIL GUNNAUR DISTRICT SAMBHAL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **O,VILLAGE SIHAVALI BLOCK RAJPURA,GUNNAUR** तहसील - **GUNNAUR**, प्लॉट एरिया **8080.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2952.60** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
KENDRIYA VIDYA NIKETAN	2	0	8.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **KENDRIYA VIDYA NIKETAN VILLAGE SIHAVALI BLOCK RAJPURA TEHSIL GUNNAUR DISTRICT SAMBHAL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **24-07-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **DEVESH KUMAR SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **24-07-2025** से **23-07-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **KENDRIYA VIDYA NIKETAN VILLAGE SIHAVALI BLOCK RAJPURA TEHSIL GUNNAUR DISTRICT SAMBHAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **KENDRIYA VIDYA NIKETAN VILLAGE SIHAVALI BLOCK RAJPURA TEHSIL GUNNAUR DISTRICT SAMBHAL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : आवेदन पर अपलोड मानचित्र/अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया तो प्रश्रुत भवन शासनादेश सं0 18 CHH PU 8 2022 905 34 2016 TC DATE 07 01 2022 से परिभाषित है। प्रश्रुत भवन में अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील पायी गयी। प्रश्रुत भवन के समस्त निकास द्वार सदैव अवरोध मुक्त रखे जाय। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि सम्बन्धित सत्ताप्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(KRISHNA KANT OJHA)

[D2CD45B833B93D43EA7B9FB5236A8039207BA48E]

24-07-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 24-07-2025
स्थान : SAMBHAL